RFNo. 1430
5-10-2011

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प.3(1)साप्र/2/2011-पार्ट

जयपुर, दिनांक 27.9.2011

-: आदेश :-

श्री मुक्तानन्द अग्रवाल, आई.ए.एस. विशेषाधिकारी, कार्मिक (क-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर जिनकी तृतीय श्रेणी की वरियता संख्या 91/2011 है तथा सेवानिवृति दिनांक 31.1.2045 है के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 के प्रावधान अन्तर्गत शिथिलन प्रदान करते हुए "आउट ऑफ टर्न" के आधार पर राजकीय आवास संख्या **'के' ब्लॉक ओल्ड एम.आर.ई.सी. केम्पस, गांधीनगर, जयपुर** का **(रिक्त होने की प्रत्याशा में)** नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तो के आधार पर एतदद्वारा आवंटन किया जाता है :-

OIC(Web)
A
5-10-2011

शर्तें:-

1. आवास का कब्जा आवास के **रिक्त होने की तिथि से** 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूँकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(iii)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षैत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी- कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:-
    1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्ज लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
    2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंय/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जयपुर/डूंगरपुर।
4. विशेषाधिकारी, कार्मिक (क-1) विभाग।
5. उप सचिव (वी.पी.) मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी डायरी संख्या एफ11003788 दिनांक 27.9.2011 के क्रम में।
6. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
7. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

8. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर–**कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।**
9. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, गांधीनगर जयपुर।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या–6 की पालना को भी अमल में लावें।
12. श्री मुक्तानन्द अग्रवाल, आई.ए.एस. विशेषाधिकारी, कार्मिक (क–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. श्रीमती पूनम, आई.ए.एस., निवासी **'के' ब्लॉक ओल्ड एम.आर.ई.सी. केम्पस, गांधीनगर, जयपुर।**
14. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
15. **सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गॉधीनगर जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्ते संख्या–8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।**
16. शासन सहायक सचिव (नोडल अधिकारी) सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग।
17. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
18. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग।
19. संबंधित अधिकारीगण।
20. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

RPNo. 1429
5-10-2011

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

कमांकः एफ.2(1)साप्र/2/2011 जयपुर, दिनांक 27 SEP 2011

–: आदेश :–

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.9.2011 के द्वारा निम्न अधिकारी को उनकी द्वितीय श्रेणी की वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु आवंटित किया गया हैं :–

क्र. सं.	वरियता संख्या	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृति दिनांक
1.	36/2011	श्रीमती ऋतु नन्दा संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर संभाग प्रथम, जयपुर	702, मॉडल टाउन, मालवीयनगर, जयपुर	31.12.2025

O/C (Web.)
A
5-10-2011

उपरोक्त अंकित अधिकारी को मॉडल टाउन मालवीयनगर, जयपुर में आवंटन होने से कॉमन सुविधा **शुल्क राशि रुपये 300/– (अक्षरे तीन सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा करायेगें।**

आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर–कृपया किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
4. आयुक्त, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर–**कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।**
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर/मालवीयनगर, जयपुर।
8. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या–6 की पालना को भी अमल में लावें।
9. श्रीमती ऋतु नन्दा, संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर संभाग प्रथम, जयपुर।
10. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
11. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या–8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें। कृपया आदेश की एक प्रति **नोटिस बोर्ड पर** चस्पा करावें।
12. शासन सहायक सचिव (नोडल अधिकारी) सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग।
13. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
14. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव